न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गेहलोत (RAS)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 03/2021

तारीख दायर :– 22/03/2021

प्रार्थी :–

1. मगा पुत्र हकाराम जी सीरवी (चौधरी) निवासी श्री सेला, तहसील बाली (पाली)।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, देसूरी।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री सुधीर कुमार श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कैलाश कुमार इगानीया, तहसीलदार देसूरी पैरोकार सरकार।

– : निर्णय : –

दिनांक : 22/09/2021

प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम सरथुर तहसील देसूरी जिला–पाली के नये खसरा नं0 132 से 135, 140, 145, 146, 156, 157 कुल रकबा 12.1100 हेक्टर भूमि जिसके पुराने खसरा नं0 74 मी. 75 मी. 67 मी. 76/1 विद्यमान है। जो प्रार्थी उसके भाईयो तथा अन्य सहखातेदारों [illegible] स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थी मूलतः ग्राम–सरथुर तहसील देसूरी का मूल निवासी है, बाद में प्रार्थी 15 कि0मी0 दूर गांव श्री सेला तहसील–बाली में रहने चला गया।

प्रार्थी के पिता हकाराम उर्फ हकमाराम के चार पुत्र वारिसान दला, खीमा, मगा (प्रार्थी) एवं उमा हुए। पूर्व में उक्त कृषि भूमि में प्राथी के पिता हकमाराम पुत्र महिंगजी का अन्य जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 से स्पष्ट है। पिता हकमाराम उर्फ हकाजी की मृत्यु सेटलमेन्ट से पूर्व हुई, दौराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट विभाग ने पिता हकमाराम उर्फ हकाराम के स्थान पर फौत होने से दला, खीमा, भगा, उमा का नाम दर्ज किया जबकि हकाराम के पुत्र मगा (प्रार्थी) के नाम के स्थान पर सेवन से भगा दर्ज हो गया यानि प्रार्थी का नाम मगा के स्थान पर सेवन से भगा दर्ज हो गया। जिससे उक्त त्रृटि के इन्द्राज को न्याय हित में सुधारना आवश्यक है। प्रार्थी वृद्ध अनपढ व गरीब व्यक्ति है। वर्तमान में ऋण लेने की आवश्यकता होने पर वर्तमान राजस्व रिकोर्ड की प्रति प्राप्त की जिस पर प्रार्थी को अपना नाम राजस्व रिकोर्ड में सेवन से भगा दर्ज होने की जानकारी हुई। जबकि भगा पुत्र हका के नाम से कोई भी अन्य व्यक्ति कृषि भूमि से संबंधित नही है तथा न ही स्व0 हका के भगा नाम का पुत्र है। जिससे न्याय हित में उक्त त्रुटि को सुधारना अतिआवश्यक है। प्रार्थी ने राजस्व रिकोर्ड की प्रमाणित प्रतियां गत माह प्राप्त कर जानकारी होने से प्रार्थना–पत्र पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज त्रुटिवश प्रार्थी का नाम भगा के स्थान पर मगा पुत्र हकमा दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी ने जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि मौजा ग्राम सरथुर के नये खसरा नं0 132 से 135, 140, 145, 146, 156, 157 कुल रकबा 12.11 हेक्टर जिसके पुराने खसरा नं0 74 मी, 75 मी, 67 मी, 76 मी है जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। गत खसरा नं0 67, 74, 75, 76/1 कुल रकबा 74 बीघा 16 बिस्वा में सहखातेदार हकमा पुत्र महिंग फौत होने से नामान्तरकरण सं0 284 से वारियान दला, खीमा, मगा, उमा पिता हकमा के नाम रेकर्ड में नामान्तरकरण हुआ है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2030 से 2033, जमाबंदी संवत् 2037 मिलान क्षेत्रफल, मिसल बंदोबस्त 2041 से 2060 वर्तमान जमाबंदी संवत्

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

2073–2076 दस्तावेज पेश किये, साथ ही मोहनलाल पुत्र उमाराम द्वारा जारी प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, मगाराम का आधारकार्ड एवं सरपंच ग्राम पंचायत धणी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 01.07.2021 मगाराम पुत्र हकाराम होने का प्रस्तुत किया गया ।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार देसूरी की बहस समायम की गई। पत्रावली मय पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं उपरोक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता हकमाराम पुत्र महिंगजी का नाम जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 में दर्ज है। हकमाराम की मृत्यु पश्चात सेटलमेन्ट के दौरान वारिसान दला, खीमा, भगा एवं उमा के नाम दर्ज किया गया। लेकिन हकाराम के पुत्र मगा के स्थान पर सेवन से भगा दर्ज हो गया जो मिसल बंदोबस्त 2041 से 2060 एवं वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–2076 से स्पष्ट प्रतीत है।

अत : उक्त नाम की हुई त्रुटि को सुधारना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज त्रुटिवश प्रार्थी का नाम की दुरूस्ती की जाकर भगा के स्थान पर मगा पुत्र हकमा दर्ज किये जाने का आवेदन दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार देसूरी राजस्व रेकोर्ड में अमल दरामद करें।

कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 22/09/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:27 IST
Reason: SelfAttested